



2026:AHC:15558

उच्च न्यायालय, न्यायिक पीठ इलाहाबाद

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 11554 वर्ष 2025

किरनपाल उर्फ बबली

..... आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

..... विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : गौरव कक्कड़, हर्षित गुप्ता, राघवेन्द्र प्रकाश, रामानंद गुप्ता

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता, विकास शर्मा

न्यायालय संख्या - 66

माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल

1. सूची संशोधित की गई है।
2. श्री गौरव कक्कड़, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री राघवेन्द्र प्रकाश द्वारा सहायतित, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, श्री विकास शर्मा, सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता तथा श्री आर.पी. पटेल, विद्वान राज्य विधि अधिकारी को सुना गया तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया गया।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. वर्तमान जमानत आवेदन आवेदक द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 265 वर्ष 2024, धारा 103(1) भारतीय न्याय संहिता तथा धारा 3/25/27 शस्त्र अधिनियम, थाना-गंगोह, जनपद-सहारनपुर में जमानत पर रिहा किए जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

अभियोजन कथानक :

4. अभियोजन के अनुसार, आवेदक एवं कुलदीप के मध्य 2 बीघा भूमि के बंटवारे को लेकर विवाद था। दिनांक 04.07.2024 को लगभग 6:30 बजे सायं आवेदक देशी तमंचा लेकर सूचनाकर्ता के घर में घुस गया तथा कुलदीप सिंह को गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। इसके बाद आवेदक मौके से फरार हो गया। प्राथमिकी में यह भी उल्लेख है कि घटना की जानकारी सूचनाकर्ता को उसकी भतीजी प्राची द्वारा दी गई।

आवेदक की ओर से तर्क :

5. प्राथमिकी से ही स्पष्ट है कि सूचनाकर्ता प्रत्यक्षदर्शी नहीं है। उसने घटना का विवरण प्राची द्वारा बताई गई जानकारी के आधार पर दिया है।
6. घटना स्थल का नक्शा दर्शाता है कि जहां से आवेदक द्वारा गोली चलाने का आरोप है, वह स्थान लगभग 15 कदम की दूरी पर है तथा नक्शे में प्रत्यक्षदर्शी प्राची की उपस्थिति का उल्लेख नहीं है।
7. मृतक का पंचनामा कार्यवाही पुलिस को नीरज द्वारा फोन के माध्यम से दी गई सूचना के बाद प्रारंभ की गई, जिसका उल्लेख जी.डी. संख्या 47 दिनांक 04.07.2024 में किया गया। पंचनामा कार्यवाही उसी रात 9:40 बजे पूर्ण की गई।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



8. मात्र एक प्रत्यक्षदर्शी प्राची है और उसका बयान विवेचक द्वारा लगभग दो माह ग्यारह दिन के विलंब से दिनांक 15.09.2024 को दर्ज किया गया। उक्त विलंब का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है।
9. प्रत्यक्षदर्शी प्राची ने बताया कि उसने हरियाणा में मौजूद संजय को फोन किया, जिसके बाद वह मौके पर पहुंचा और पंचनामा कार्यवाही में पंच गवाह बना। प्राची के बयान (पी.डब्ल्यू.-2) में समय संबंधी विवरण संजय की उपस्थिति से मेल नहीं खाते।
10. प्राची ने कहा कि आरोपी ने लगभग 6 फीट की दूरी से गोली चलाई। यदि ऐसा होता तो गोली चलाते समय दूरी 3-4 फीट भी हो सकती थी। मृतक के शरीर पर ब्लैकनिंग या टैटूइंग नहीं पाई गई, जिससे प्रत्यक्षदर्शी होने पर संदेह उत्पन्न होता है। नक्शे के अनुसार दूरी लगभग 15 कदम अर्थात् 30-35 फीट प्रतीत होती है। इस प्रकार साक्ष्यों में भौतिक विरोधाभास है। आरोप पत्र में 24 गवाहों का उल्लेख है जबकि अब तक केवल दो गवाहों का परीक्षण हुआ है।
11. आवेदक दिनांक 05.07.2024 से जेल में निरुद्ध है, जो लगभग डेढ़ वर्ष का कारावास है तथा निकट भविष्य में विचारण पूर्ण होने की संभावना नहीं है। मुख्य गवाह पी.डब्ल्यू.-2 का परीक्षण हो चुका है, अतः साक्ष्य से छेड़छाड़ की संभावना नहीं है। आवेदक फरार होने की संभावना भी नहीं है तथा जमानत मिलने पर स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।
12. आवेदक के विरुद्ध दो आपराधिक मामलों का इतिहास स्पष्ट किया गया है तथा आदेश संलग्न किए गए हैं, जिनमें वह दोनों मामलों में दोषमुक्त हो चुका है। गवाहों के बयानों में विरोधाभास होने से जमानत प्रदान किए जाने का आधार बनता है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



राज्य/सूचनाकर्ता की ओर से तर्क :

13. स्वाभाविक गवाहों के बयानों में मामूली विरोधाभास होना सामान्य है। ग्रामीण गवाहों द्वारा असंगत बयान देना स्वाभाविक है।
14. प्रत्यक्षदर्शी प्राची के बयान में विलंब से रिकॉर्ड होने का लाभ बचाव पक्ष को नहीं मिलता, क्योंकि उसका नाम प्राथमिकी में प्रारंभ से ही प्रत्यक्षदर्शी के रूप में अंकित है।

निष्कर्ष :

15. *प्रभाकर तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य*, (2020) 11 SCC 648 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि मात्र आपराधिक मामलों की लंबितता जमानत निरस्त करने का आधार नहीं हो सकती।
16. पक्षकारों के अधिवक्ताओं को सुनने तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री पर विचार करने के पश्चात तथा गवाहों के बयानों में मामूली विरोधाभास को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि वर्तमान परिस्थितियों में आवेदक को जमानत प्रदान करना उचित नहीं है। अतः जमानत आवेदन निराधार पाते हुए *निरस्त* किया जाता है।
17. तथापि निर्देशित किया जाता है कि विचाराधीन वाद का शीघ्र निस्तारण किया जाए, जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा *विनोद कुमार बनाम पंजाब राज्य*, 2015 (3) SCC 220 तथा *हुसैन एवं अन्य बनाम भारत संघ*, (2017) 5 SCC 702 में प्रतिपादित सिद्धांतों के अनुसार, यदि कोई विधिक बाधा न हो।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



18. स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में की गई टिप्पणियां केवल जमानत आवेदन के निस्तारण हेतु हैं तथा विचारण के दौरान वाद के गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं डालेंगी।

दिनांक : 21 जनवरी, 2026

(कृष्ण पहल, न्यायमूर्ति)

शालिनी

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।